<u>**आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ 'एकल सदस्य' अहमदाबाद ।**</u>

समक्षः सुश्री सुचित्रा काम्बले, न्यायिक सदस्य <u>एवं</u>
श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य

आयकर अपील सं. 751/एएचडी/2024
(निर्धारण वर्षः 2022-23)

श्री स्वामीनारायण क्रेडिट एण्ड सप्लाय सहकारी मंडली लिमिटेड मफलीपुर, धोलका, अहमदाबाद गुजरात- 382225 स्थायी ले.सं. एबीसीएएस5698ई	**बनाम**	**आयकर अधिकारी** वॉर्ड- 3(2)(1) अहमदाबाद
(अपीलार्थी)		**(प्रत्यर्थी)**

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस.एन. दिवेटिया, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री रोहित आसुदानी वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई की तारीख	12.09.2024
उच्चारण की तारीख	01.10.2024

<u>**आदेश**</u>

<u>**श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य द्वारा**</u>

यह अपील आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 143(1) के अंतर्गत कार्यवाही में निर्धारण वर्ष (ए.वाय.) 2022-23 के लिए आयकर आयुक्त (अपील), एडीडीएल/जेसीआईटी(ए) जोधपुर, (संक्षेप में 'सीआईटी(ए)') के दिनांक 19.02.2024 के आदेश के विरुद्ध निर्धारिती द्वारा दायर की गई है।

2. निर्धारिती एक सहकारी समिति है जो अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने में लगी हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न 22.10.2022 को दाखिल किया गया,

जिसमें अधिनियम की धारा 80पी के तहत रु. 9,65,497/- की कटौती का दावा करने के बाद कुल आय रुपए शून्य घोषित की गई। धारा 143(1) के अंतर्गत रिटर्न प्रक्रिया करते समय धारा 80पी के अंतर्गत कटौती की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि निर्धारिती द्वारा आयकर रिटर्न विलंब से दाखिल किया गया था। सीपीसी के आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त(ए) के समक्ष अपील दायर की थी, जिसका निर्णय विवादित आदेश के माध्यम से किया गया और निर्धारिती की अपील खारिज कर दी गई। अब निर्धारिती हमारे समक्ष अपील में है।

3. सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने सूचित किया कि निर्धारिती इस अपील को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। इस संबंध में एक पत्र भी दायर किया गया जिसमें सूचित किया गया कि निर्धारिती को अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है और इस संबंध में एक आवेदन भी दायर किया गया है। चूंकि निर्धारिती पी.सी.आई.टी.-3 अहमदाबाद के समक्ष मामले को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए उसने वर्तमान अपील वापस लेने की अनुमति मांगी है। राजस्व विभाग को निर्धारिती द्वारा अपील वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. हमने निर्धारिती की प्रस्तुति पर विचार किया है। निर्धारिती द्वारा धारा 80पी(2)(ए)(आई) के तहत किया गया कटौती का दावा इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया था कि आयकर विवरणी नियत तिथि के भीतर दाखिल नहीं की गई थी। विद्वान आयकर आयुक्त(अपील) ने माना है कि अधिनियम की धारा 80एसी सपठित धारा 80(5) के अनुसार कटौती स्वीकार्य नहीं थी। चूंकि निर्धारिती अब अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत आवेदन दायर करके रिटर्न दाखिल करने में विलंब के लिए माफी के लिए वैकल्पिक उपाय अपना रहा है, इसलिए उसने वर्तमान अपील वापस लेने की अनुमति मांगी है।

5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

दिनांक: 01.10.2024 को इस आदेश को उच्चारित किया गया।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(सुचित्रा काम्बले)	(नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा)
न्यायिक सदस्य	**लेखा सदस्य**

अहमदाबाद दिनांकः 01/10/2024

सुमरा

<u>आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषितः-</u>

1. अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी
3. संबंधित आयकर आयुक्त
4. आयकर आयुक्त(अपील)
5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद।
6. गार्ड फाइल

आदेश से,

सहायक पंजीकार

आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद।